न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 43/2022

श्री नासेह मोहम्मद मदानी निवासी 13/2 वक्फ कालोनी रा.बा.उ.मा.वि. गुलजार बाग के पास टोंक जिला टोंक
––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा कलेक्ट्रेट टोंक
––प्रत्यर्थी

न्यायालय जिला कलेक्टर सत्यमेव जयते टोंक (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 08.12.2022**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 15.09.2022 को प्रेषित/प्रस्तुत करने पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने उनके पत्र क्रमांक 924 दिनाक 10.10.2022 से लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी लेखा शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गई:–

01 श्री नासेह मोहम्मद मदानी तत्कालीन जिला अल्प बचत अधिकारी टोंक का निलम्बन आदेश जो उप शासन सचिव, कार्मिक (क–3 जॉच) विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक प. 1 (305) कार्मिक/क–3/07 दिनांक 24.03.2008 के द्वारा जारी किया था कि प्रमाणित प्रति ।

02 श्री नासेह मोहम्मद मदानी का बहाली आदेश ।

03 अंकेक्षण दल द्वारा राशि रू. 24,54,591.96 नगद शेष पाया जाना चाहिये था, ? जो ट्रेजरी द्वारा पारित पास्ट बिल होने पर बैंक से आहरित किया गया था। उक्त 24,94,591.96 राशि के बिलो की प्रमाणित प्रतियाँ ।

04 उक्त बिलो के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई कृपया निम्न बिन्दुओं का प्रतिउत्तर देने का कष्ट करें:–

(1) क्या बिल से सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म को भुगतान प्राप्त करने के लिए कोई लिखित मे सूचना दी गयी अथवा नहीं?

(2) क्या कार्यालय से उनको कोई व्यक्ति भुगतान देने के लिए भेजा गया अथवा नहीं?

(3) क्या कोई व्यक्ति/फर्म अपना भुगतान होने कार्यालय मे आया था या नहीं? तथा उसको भुगतान किया गया अथवा नहीं?

(4) राशि रू. 24,94,591.96 मे से अब तक कितनी राशि का वितरण कर दिया गया तथा अब कितनी राशि वितरण करना शेष हैं?

(5) वितरित की गई राशी के बिलो एवं रसीद की फोटो प्रतियाँ ।

(6) अवितरित राशि के बिलो की फोटो प्रतियाँ ।

05 यू.ओ. नोट (अनौपचारिक टिप्पणी) क्रमांक 20[illegible] दिनांक 07.[illegible]2007 द्वारा प्रभारी अधिकारी लेखा कार्यालय जिला कलेक्टर टोंक ने जो जारी [illegible] था कि फोटो प्रति ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:59:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

06 कार्यालय आदेश 232–41 दिनांक 25.07.2006 जिसमे मुझे आहरण एवं वितरण अधिकारी बनाया गया था कि प्रमाणित प्रति ।

07 मेरे कार्यकाल में कितनी राशि का गबन हुआ, अवगत करावे तथा उक्त गबन के बिलो की फोटो प्रति उपलब्ध करावें ।

08 अपलेखन आदेश के बाद, स्व. श्री तनवीर अहमद केशियर के घर से पुलिस ने जो राशि रू. 2,37,135 /– नगद बरामद की थी, क्या वह भी उसको लौटा दी गयी अथवा नहीं स्पष्ट करें।

उक्त सूचना मुझे अपने निर्णय के विरूद्ध प्रतिउत्तर मे चाहिये, अतः शीघ्र अति शीघ्र समस्त सूचनाएँ/दस्तावेज देने का कष्ट करें।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा कलेक्ट्रेट टोंक व लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी लेखा शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को पत्र क्रमांक 1575–76 दिनांक 7.11.2022, 1595–96 दिनांक 14.11.2022 व 1650 दिनांक 28.11.2022 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी लेखा शाखा कलेक्ट्रेट टोंक ने उनके पत्र क्रमांक लेखा/2022–23/1788 दिनांक 23.11.2022 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में अपीलार्थी को उनके पत्र क्रमांक 1471 दिनांक 20.09.2022 से सूचित किया जा चुका है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रार्थना–पत्र/अपील में बिन्दू संख्या 1 व 2 प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा कलेक्ट्रेट टोंक से संबंधित होने के कारण जवाब तलब किया गया। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा कलेक्ट्रेट टोंक ने उनके पत्र क्रमांक 5741 दिनांक 30.11.2022 से जवाब प्रेषित कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना स्थापना शाखा कलेक्ट्रेट टोंक से संबंधित नही होने से लेखाधिकारी कलेक्ट्रेट टोंक को उनके पत्र क्रमांक 5621 दिनांक 21.11.2022 से अवगत करवाया गया है, परन्तु अपील का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में बिन्दू संख्या 1 व 2 प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा कलेक्ट्रेट टोंक से संबंधित है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना अपील प्रस्तुत करने के उपरान्त भी उपलब्ध नही करवाई गई। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना के बिन्दू संख्या 1 व 2 प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट बिन्दु संख्या 1 व 2 की हद तक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा कलेक्ट्रेट टोंक/लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी लेखा शाखा कलेक्ट्रेट टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:59:46 IST
Reason: SelfAttested

प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलेक्टर
एवं जिला कलेक्टर टोंक
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)